

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठारसीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० : 30 सन 2022

अनवान :-

1. भलाराम पुत्र सदासुख उर्फ सदाराम जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुरस्ती अन्तर्गत धारा 136  
भू-राजस्व अधिनियम 1956  
उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी  
निर्णय दिनांक :- 22/04/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि वादीया के नाम रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 187/187 की कुल 1.3670हैक में से 1/5 हिस्सा एव रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 188/188 की कुल 5.2128हैक मे से 125 हिस्से भूमि का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण भलाराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम भलाराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम भलाराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 187/187 की कुल 1.3670हैक में से 1/5 हिस्सा एव रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 188/188 की कुल 5.2128हैक मे से 125 हिस्से में प्रार्थी का नाम भलाराम के स्थान पर भलाराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 187/187 की कुल 1.3670हैक में से 1/5 हिस्सा एव रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 188/188 की

कुल 5.2128हैक मे से 125 हिस्से भूमि का खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण भालाराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम भालाराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम भालाराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।


पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 187/187 की कुल 1.3670हैक् में से 1/5 हिस्सा एव रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 188/188 की कुल 5.2128हैक् मे से 125 हिस्से भूमि का खातेदार काशतकार है जिसमें प्रार्थी का नाम भालाराम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम भालाराम है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम भालाराम दर्ज है प्रार्थी ने अपने नाम के सम्बन्ध में स्वयं का शपथ/दस्तावेजात /तहसीलदार की अभिशपां के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 187/187 की कुल 1.3670हैक् में से 1/5 हिस्सा एव रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 188/188 की कुल 5.2128हैक् मे से 125 हिस्से भूमि में प्रार्थी का नाम भालाराम के स्थान पर भालाराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तर्तीय तकमील जाब्त दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22/6/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )